


राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प. 8(1)राज/वाद/09

जयपुर, दिनांक: 18-8-2017

:: अधिसूचना ::

इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.01.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना के क्रम सं०-17 व 18 के कॉलम सं०-4 की प्रविष्टि को विलोपित किया जाकर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.07.17 से नवसृजित विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट 2005 जयपुर के लिए रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 13.07.17 से उक्त नवसृजित न्यायालय में अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी को उक्त न्यायालय का अतिरिक्त पदभार प्रदत्त किये जाने के फलस्वरूप अपर जिला न्यायाधीश, सं०-2, जयपुर जिला में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अपर लोक अभियोजक सं०-2, जयपुर जिला को उक्त विनिर्दिष्ट विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट 2005 जयपुर के अधीन विचाराधीन प्रकरणों में अग्रिम आदेशों तक पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियां एतद्वारा प्रदत्त की जाती हैं।

  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
8. संबंधित न्यायालय।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज० जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. संबंधित विशिष्ट लोक अभियोजक/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण.....  
राजस्थान।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

  
(आशुतोष कुमार मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि  
18-8-17